पत्रांक/ No.U.12023/41/2015-ME-II Date/तिथि: Nov, 2015

भारत सरकार/Government of India

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय /Ministry of Health & Family Welfare,

Room No. 316 'D', निर्माण भवन/ Nirman Bhawan, नई दिल्ली / New Delhi-11

नोटिस

विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली चिकित्सा शिक्षा प्रभाग में विधिक मामलों में सहायता प्रदान करने हेतु विधिक परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आंमत्रित करता है।

2. विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति शुरुआत में एक वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे आवश्यकता के अनुरूप आगे और बढ़ाया जा सकता है। पात्रता संबंधी मानदंड, देय पारिश्रमिक और नियुक्ति की और ज्यादा शर्तें एवं निबंधन मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3. अभ्यर्थी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर अपना जीवनवृत (रिज्यूमे) तथा शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव आदि के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति उप-सचिव (एमई), कमरा नं. 144-ए, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजें।

अवधेश कुमार सिंह

(अवधेश कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विधिक परामर्शदाता की नियुक्ति

पात्रता संबंधी मानदंड और अन्य शर्तों एवं निबंधों का ब्यौरा

पात्रता संबंधी मानदंड

1. योग्यता:

क. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (एलएलबी)

ख. विभिन्न स्तरों जैसे भारत के उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में न्यायालयी वादों से संबंधित कार्य का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

ग. मैसर्स वर्ड/एक्सेल तथा पावरप्वाइंट में कार्य करने का ज्ञान होना।

2. शुल्क:

विधिक परामर्शदाता के रुप में नियुक्त अभ्यर्थी को 35,000/- प्रति माह के समेकित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

3. कार्य-दायित्वों की प्रकृति

चिकित्सा शिक्षा प्रभाग से संबंधित सभी विधिक मामले

4. तैनाती का स्थान:

निर्माण भवन, नई दिल्ली

5. शर्ते एवं निबंधन:

अनुलग्नक के अनुसार

<u>अनुलग्नक</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु शर्तें एवं निबंधन

1. परामर्शदाता अपने नियंत्रक अधिकारी द्वारा उसे सौंपी गई सेवाएं निष्पादित करेगा।
2. सामान्य कार्य समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होगा और दोपहर 01.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का भोजनालय होगा। परामर्शदाता बायोमीट्रिक सिस्टम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा।
3. वह 8 आकस्मिक छुट्टी हेतु पात्र होगा जो पूर्व अनुमति से ली जा सकती हैं।
4. विशेष परिस्थितियों में परामर्शदाता को अवकाश वाले दिन अथवा सामान्य कार्य घंटे के उपरांत भी सेवाएं देने के लिए बुलाया जा सकता है।
5. कंसल्टेंसी नियुक्ति की तारीख से शुरु हो जाएगी तथा एक वर्ष की समाप्ति के उपरांत खत्म हो जाएगी।
6. परामर्शदाता द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए उसे टीडीएस आदि की कटौतियों आदि के अध्यधीन 35,000/-रुपए प्रतिमाह का समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। एक माह में प्रदत्त सेवाओं के लिए पारिश्रमिक उत्तरवर्ती माह में देय होगा। सरकारी दौरों पर टीए/डीए के सिवाय उसे कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. परामर्शदाता अपनी कंसल्टैंसी के अंतर्गत सभी आवश्यक दक्षताओं, कर्मठता, कार्यात्पादकता तथा मितव्ययिता से अपने सभी दायित्व निष्पादित करेगा।
9. परामर्शदाता के रूप में उसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसा मान लिया गया है कि कैंसल्टैंसी शुल्क में ही मेडिकल कवर, यदि कोई हो, की लागत शामिल है।
10. मंत्रालय उसके कार्य निष्पादन और मात्रा के कारण होने वाली उसकी किसी भी हानि, दुर्घटना, क्षति/नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. कंसल्टैंसी के कार्यकाल के दौरान वह किसी भी ऐसें निजी व्यवसाय अथवा व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगा जिससे सरकार के हित के साथ टकराव हो।
12. परामर्शदाता सभी सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेगा तथा इनका इस्तेमाल केवल सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनार्थ ही करेगा।
13. कंसल्टैंसी किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

****